



346/1

दृष्टां प्र 2286709
2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 2545 / 05 / 76 / एक / 2015 16
से वा मे,

दिनांक : 15 सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद - रायबरेली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या 37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुका कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईफैससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0917000102014168	IFSC Code PUNB0091700	107.396
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वाड़ सं० 04 पूरे काजी पूर्वी में अनवर के मकान से यूनुस के मकान तक इण्टरलाकिंग राङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.832
2	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वाड़ सं० 04 पूरे काजी पूर्वी में सलौन से जायरा रोड पर शकील के मकान से हरिशंकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.378
3	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वाड़ सं० 2/5, राम रामगढ़/कट्टा बाजार में इरशाद पोस्ट मैन के मकान से रामरामगढ़ तालाब के पास ट्रान्सफॉर्मर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.833
4	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वाड़ सं० 07 जिल्ला बाजार में नूरारी मरिजद से शफीक के आरा मशीन होठे हुये रालोन जायस गांग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.974
5	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वाड़ सं० 07 जिल्ला बाजार में सलौन से जायस रोड पर हवीब के पास मकान से अयोध्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.378
6	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वाड़ नं० 03 शेखवाड़ा में छोटी मजार से नईमुल अन्सारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.163
7	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वाड़ नं० 03 शेखवाड़ा में रातीम अन्सारी से गंग नहर पुल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.015
8	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वाड़ नं० 03 शेखवाड़ा में मज्जन के घर से बब्नन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.665
9	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वाड़ नं० 03 शेखवाड़ा में अनवरी के घर से रासिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.327
10	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वाड़ नं० 03 शेखवाड़ा में अलीबकरा के घर से रासिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का	
11	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वाड़ नं० 03 शेखवाड़ा में मरिजद से अम्रत के घर इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	



346/2

दूरभाष - 2286709
2286700

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक गार्ड, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मैलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
12	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 डलमऊ	वार्ड नं0 03 शेखवाडा में राकील अन्सारी रोड इण्टरलाकिंग रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.386
13	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 डलमऊ	वार्ड नं0 04 चौहटा में डलमऊ रायबरेली रोड से मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.469
14	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 डलमऊ	वार्ड नं0 04 चौहटा में मुर्तजा के घर रो हामिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.023
15	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 डलमऊ	वार्ड नं0 04 चौहटा में बाबी के घर से कर्बला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.123
	योग				107.396

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मैलिन वस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत भिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- ३०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मैलिन वस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में रामबन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के रापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय व्याधिता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य आम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त रामय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हरतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्द्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्नोत पर कठीती सम्बद्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्द्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



346/3

दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरी परियोजन के लिये किया जाएगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेटेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भारदीय

(लूल/प्रताप रिंग)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, राम्बन्धित जनपद।
 - अपर निदेशक, सूडा।।
 - अधिभूत अधिकारी अधिकारी, सूडा।।
 - कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग- सूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त मियन्ड्रक